

7/6
2/8/24

पत्रांक-भवन/मु0अ0(प0)यो0प्राक-1-56/2024 46(1) पटना, दिनांक- 2/8/24
बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:-

राजभवन, पटना के प्रस्तावित राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथिगृह के निर्माण हेतु कुल ₹129.69 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ उनहतर लाख रुपये) मात्र का वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

- निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-4629(भ) अनु0, दिनांक-19.06.2024 से प्राप्त प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा दिनांक-18.06.2024 को प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आधार पर विषयांकित कार्य हेतु कुल ₹129.69 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ उनहतर लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि "मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0101-विपत्र कोड-03-4059010510101 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
 3. विषयांकित कार्य हेतु स्वीकृत राशि का व्यय निम्न प्रकार से किया जायेगा:-
(i) वित्तीय वर्ष 2024-25 - ₹65.00 करोड़
(ii) वित्तीय वर्ष 2025-26 - ₹64.69 करोड़
 4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ध्य एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा। यह मात्र प्रशासनिक स्वीकृति है। विषयांकित कार्य हेतु आवंटन के साथ निर्गत व्ययादेश के उपरान्त ही राशि की निकासी की जा सकेगी।
 5. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0-3, पटना होंगे।
 6. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि के व्यय के पूर्व एजेंसी द्वारा इस कार्य के संबंध में संतुष्ट होकर नियमानुसार भुगतान करेंगे।
 7. प्रस्तुत योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा सं0सं0-भ0/मु0अ0(प0)यो0प्राक-1-56/24 के पृष्ठ-14/टि0 पर दिनांक-12.07.2024 को प्रदान की गयी है। जो संकल्प ज्ञापक-5466(भ), दिनांक-19.07.2024 द्वारा अधिसूचित है।
 8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
 9. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-भ0/मु0अ0(प0)यो0प्राक-1-56/24 के पृष्ठ-19/टि0 पर प्राप्त है।
 10. वित्त विभागीय परिपत्र सं0-7355 वि0(2) दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(मनीष कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक- 46(1)

पटना,

दिनांक- 2/8/24

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

P.T.O.

ज्ञापांक- 46(1)

पटना,

दिनांक-

2/8/20

प्रतिलिपि-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(पटना)/निरूपण
उपभाग/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना/उप निदेशक-1
एवं 2 अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं०-3, पटना/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी
(बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आईटीओ मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विज्ञापन सचिव
fuj

(23)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
संकल्प

विषय:- ₹129.69 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ उनहत्तर लाख रुपये) मात्र की लागत पर राजभवन, पटना के प्रस्तावित राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथिगृह के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।

2. राजभवन, पटना के प्रस्तावित राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथिगृह के भवनों का निर्माण किया जाना है। जिसके अन्तर्गत राजेन्द्र भवन में लगभग छः सौ क्षमता के आधुनिक सभागार तथा सुसज्जित डायनिंग हॉल का निर्माण प्रावधानित है। राज्यपाल सचिवालय में महामहिम राज्यपाल के लिए कार्यालय कक्ष, मिटिंग हॉल, प्रधान सचिव के लिए कार्यालय कक्ष, दस कमरों के अतिथिगृह में डायनिंग हॉल, डोरमेटरी का निर्माण प्रावधानित है। साथ ही इन सभी निर्माण कार्य में अग्निशमन कार्य, दो लिफ्ट, फर्नीचर कार्य, ग्रीन बिल्डिंग की आवश्यकता हेतु अपशिष्ट प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन का प्रावधान, बागवानी कार्य, विद्युत सब-स्टेशन, डी0जी0 सेट, निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु यू0पी0एस0 सिस्टम, भी0आर0भी0/भी0आर0एफ0 ए0सी0 सिस्टम, सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर वॉटर हिटिंग सिस्टम, सी0सी0टी0भी0, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, आई0पी0 आधारित ई0पी0ए0बी0एक्स सिस्टम, एल0ई0डी0 के साथ स्ट्रीट लाइटिंग, एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 संयंत्र, आधुनिक बायोमेट्रिक सिस्टम, बैगेज स्कैनर, इलेक्ट्रो-मेकेनिकल बुम बैरियर, सेन्सर आधारित कार पार्किंग सिस्टम, इमरजेन्सी लाइट एवं एल्युमिनेटेड साईनेज एवं मोटराईज्ड स्टील गेट आदि प्रावधानित हैं।

3. विषयांकित निर्माण कार्य योजना के प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ₹129.69 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ उनहत्तर लाख रुपये) मात्र का तकनीकी अनुमोदन दिनांक 18.06.2024 को प्रदान किया गया है, जो विभागीय पत्रांक-4629(भ) अनु0, दिनांक-19.06.2024 द्वारा प्रेषित है। राजभवन, पटना के परिसर में राजेन्द्र भवन (बी0+जी0+1) (कुल क्षेत्रफल 109696.05 वर्गफीट); राज्यपाल सचिवालय (बी0+जी0+2) (कुल क्षेत्रफल 44939.79 वर्गफीट) एवं अतिथिगृह (जी0+1) (कुल क्षेत्रफल 17071.39 वर्गफीट) का निर्माण कार्य होना है। राज्य योजना के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु क्रमशः वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹65.00 करोड़ तथा 2025-26 में ₹64.69 करोड़ का व्यय किया जायेगा तथा योजना कार्यान्वयन की समय सीमा 18 माह होगी।

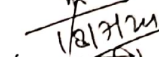
4. इस योजना का व्यय "मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0101-विपत्र कोड-03-4059010510101 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य" के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

5. राजभवन, पटना के प्रस्तावित राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथिगृह के भवनो के निर्माण योजना पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-12.07.2024 की बैठक में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹129.69 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ उनहत्तर लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में योजना राज्य की उपलब्ध निधि से कार्यान्वित की जायेगी।

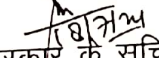
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कुमार रवि)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भवन/मु०अ०(प०)यो०प्राक्०-1-56/2024 5466/गि/पटना, दिनांक- 19/7/24
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हार्ड कॉपी के साथ)
बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि इस संकल्प की पाँच सौ मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भवन/मु०अ०(प०)यो०प्राक्०-1-56/2024 5466/भि/पटना, दिनांक- 19/7/24
प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचंद पटेल पथ, पटना को (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भवन/मु०अ०(प०)यो०प्राक्०-1-56/2024 5466/भि/पटना, दिनांक- 19/7/24
प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/मा. मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/निरूपण उपभाग, निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल/दक्षिण बिहार अंचल/उप निदेशक-1 एवं 2 अनुश्रवण एवं कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं०-3/केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

Secret

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापक-5048 दिनांक-03.07.2024 में सम्मिलित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-12.07.2024 में मद संख्या-16 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

16. ₹129.69 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ उनहत्तर लाख रुपये) मात्र की लागत पर राजभवन, पटना के प्रस्तावित राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथिगृह के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।

16. स्वीकृत।

(निशीथ वर्मा)
सरकार के अपर सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

आ.नं. 2197
15-7-24

कुमार राय

16.7.24
सुधांशु शेखर राय

आ.नं. 2197
भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना
प्रति की तिथि: 15-7-24
प्रेषण की तिथि: 15-7-24
छापरी संख्या:

राकेश

राकेश

अनुमोदित

उपरोक्त मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक में संचिका के पत्राचार मार्ग पर रचित संकल्प प्रारूप पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
रूपमा ।
प्रठ/4410

50791
18/07/24